न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —65 / 2016 अपील (RCMS/2016/00037)
पंजीयन दिनांक —16.08.2016
निर्णय दिनांक —31.12.2018

1. हिमांशु ब्राह्मण पिता नाथुलाल ब्राह्मण, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मांगी (छोटी) पुत्री श्री जगन्नाथ ब्राह्मण पत्नी पुरूषोत्तम ब्राह्मण निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती मांगी (बड़ी) उर्फ देवकुंवर पुत्री श्री जगन्नाथ ब्राह्मण पत्नी अशोक प्रधान निवासी 74, कालीदास पथ, शनि गली, बड़ नगर, उज्जैन (मध्य प्रदेश)।
3. श्री नाथुलाल पिता श्री जगन्नाथ ब्राह्मण निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. राज्य जरिये तहसीलदार, कपासन एवं उप—पंजीयक, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री चांदमल सांखला — वकील अपीलान्ट
2. श्री भगवतीलाल जैन — वकील रेस्पोडेंट संख्या—2

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 02 / 2014 दिनांक 26.05.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 31.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 02 / 2014 दिनांक 26.05.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती मांगी (छोटी) द्वारा तहसीलदार, कपासन के आदेश दिनांक 17.02.2014 एवं इस क्रम में नामान्तकरण संख्या–2378 दिनांक 25.02.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कपासन के हाल आराजी नम्बर 3095, 3096, 3097, 3181 कुल किता 5, कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 2069 कुल किता 1 कुल रकबा 0.24 है. जो संयुक्त हक हिस्से का है व आराजी नम्बर 2048, 2067, 5435, 5437, 5566 कुल किता 5 कुल रकबा 5.45 है. स्थित है, जो जगन्नाथ ब्राह्मण के नाम दर्ज है। जगन्नाथ के पिता हरीराम है। जगन्नाथ की पत्नि लेहरीबाई (फोत), दो पुत्रियां मांगी देवी (बड़ी एवं छोटी) एवं एक पुत्र श्री नाथुलाल है। उक्त भूमियां हरीराम के पिता सुखदेव के समय से चली आ रही है एवं स्व. श्री जगन्नाथ को विरासत से प्राप्त हुई है, और उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त विरासत से प्राप्त आराजीयात के वारिस उसकी पत्नि, दोनों पुत्रियां एवं पुत्र होते है। परन्तु जगन्नाथ जी की मृत्यु उपरान्त उक्त मौरूसी भूमि वसीयत के आधार पर अपीलान्ट श्री हिमांशु के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, कपासन द्वारा आदेश दिनांक 17.02.2014 को पारित कर नामान्तरकरण संख्या 2378 दिनांक 25.02. 2014 को स्वीकृत किया। जिसने व्यथीत होकर रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील पेश की गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.05. 2016 तहसीलदार, कपासन के उक्त आदेश एवं नामान्तकरण निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार कपासन को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि मांगी (छोटी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.02.2014 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए श्री हिमांशु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/साक्ष्य आदि को समाहित कर दोनों पक्षों को सुनवाई, साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आगामी कार्यवाही नियमानुसार करें। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने कथन किए कि–

> "वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ तहसीलदार, कपासन को दिनांक 25.02. 2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसकी छाया प्रति प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा तहसीलदार, कपासन से दिनांक 03.02.2014 को वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने बाबत आवेदन किया। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, कपासन ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की। पटवारी द्वारा उसी दिनांक 03.02.2014 को ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। पटवारी द्वारा तहसील में रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसके तहसीलदार कपासन ने उसी दिनांक 03.02.2014 को पटवार हल्का से मौका स्थिति एवं काश्त की जानकारी बाबत् आदेश दिया गया। पटवारी हल्का ने बिना विलम्ब किये दिनांक 05.02.2014 को मौतबिरान की जानकारी के अनुसार वसीयत ग्रहिता के कब्जे बाबत भूमि होना बताया।
>
> आश्चर्यजनक स्थिति है कि पटवार हल्का ने दिनांक 03.02.2014 को प्रस्तुत रिपोर्ट में जायदाद अर्जित होने सम्बन्धित साक्ष्य नहीं होना तथा वसीयत के मामलें में

इसकी जांच अपेक्षित होती जो नहीं की बल्कि औपचारिक आक्षेप काश्त बाबत कर दिया। इस प्रतिवेदन को मान लिया गया जबकि वसीयत पत्र में आराजी न., रकबा आदि का कोई उल्लेख नहीं है। वसीयत में मात्र स्वयं की खुद की अर्जित की गई जायदाद होना बताया। पटवारी द्वारा वसीयत को देखा होगा उसी अनुसार भूमि का कब्जा वसीयतग्रहिता का होना बताया लेकिन पटवारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राजस्व अभिलेख में वसीयत संबंधी विरासती अथवा स्वअर्जित है। जबकि नामान्तरकरण हेतु 15 वर्ष बाद क्यों कर आवेदन किया गया इसकी जांच पटवारी से अपेक्षित थी।

वसीयत दिनांक 16.01.1988 को इन्तकाल आवेदन दिनांक 03.02.2014 को किया गया जो करीब 15 वर्ष से अधिक समय बाद किया गया है तथा जगन्नाथ वसीयत कर्ता की दिनांक 07.11.2002 मृत्यु हो चकी थी यानि मृत्यु के भी 11 वर्ष बाद यह आवेदन किया गया।

तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.02.2014 नामान्तरकरण संख्या 2378 दिनांक 25.02.2014 के क्रम में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.02.2014 को नामान्तरकरण माफिक आदेश पर भर कर जांच अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित थी। लेकिन जांच अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच किये बिना उसी दिनांक 23.02.2014 को हस्ताक्षर कर दिये। खेदजनक स्थिति है कि पटवारी द्वारा राजकीय अवकाश (रविवार) को ही यह कार्यवाही शायद एक साथ ही की जाना पाया जाता है, जो गम्भीर स्थिति है।

तहसीलदार को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.02.2014 को इसी आराजी बाबत आवेदन किया उसमें भी कार्यवाही नही करना वकील अपीलान्ट का कथन रहा है, तथा तहसीलदार द्वारा 25.02.2014 से यह नामान्तरकरण संख्या 2378 निर्णित किया जबकि उसी दिनांक 25.02.2014 को इसके सम्बन्ध में आवेदन/उजर प्राप्त हो गया था जो तहसीलदार द्वारा निर्णय अपेक्षित था।

उपरोक्त विवरण अनुसार तहसीलदार कपासन द्वारा वांछित राजस्व अभिलेख/साक्ष्य को नजरअंदाज कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी में एकपक्षीय कार्यवाही की गई, जो नियमानुसार नहीं है।''

उक्त निर्णय दिनांक 26.05.2016 से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 18.12.2018 को सुनी गई। दीगर रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। निर्णय से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती मांगीबाई (छोटी) की ओर से लिखित बहस प्राप्त जो शा.फा. की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण पूरा उत्तराधिकारी नियम 1956 पर आधारित है। धारा 6 उत्तराधिकारी अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके तहत प्रकरण नहीं आता है। 2005 से पहले पुत्रियों का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था, धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन 2005 को हुआ था जिसके अन्तर्गत पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार दिया गया जबकि पुत्रियों के पिता 2005 में जीवत हो पर कोई मत नहीं लिया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने इस प्रकरण में इन्तकाल खोला जाकर प्रमाणित किया है, व हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत की किया जाता है। इस प्रकरण में विधि के अनुसार रेस्पोडेंट को सूनना आवश्यक नहीं था क्योंकि रेस्पोडेंट के पिता की मृत्यु दिनांक 07.11.2002 को हो जाने से 2005 के पहले यदि पिता किसी तरह से प्रोपर्टी का बंटवारा या वसीयत की या किसी भी तरह से विभाजित या वसीयत कर दिया तो ऐसे प्रकरण में पुत्रियों का अधिकार नहीं होगा एवं ऐसी पत्रावलियां पुनः नहीं खोली जा सकती है इस प्रकरण में भी अपीलान्ट के दादाजी ने प्रोपर्टी को जरिये वसीयत ट्रासंफर 2004 से पहले कर दी इसलिए पत्रावली पर भी उत्तराधिकार की संशोधित धारा 6 लागु नहीं होगी। इस प्रकार इस पत्रावली में सारे बिन्दु विधि के अन्तर्गत है, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने विधि के अनुसार इन्तकाल का निर्धारण किया है। इसमें अन्य रेस्पोडेंटस् को सूनना आवश्यक नहीं है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की। इसकी पुष्टि में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य ए.आई.आर. 2016 पेज 769 पेश किया। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 26.05.2016 निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन किया है।

रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती मांगी (छोटी) ने लिखित बहस में बताया कि ग्राम कपासन के हाल आराजी नम्बर 3095, 3096, 3097, 3181 कुल किता 5, कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 2069 कुल किता 1 कुल रकबा 0.24 है. जो संयुक्त हक हिस्से का है व आराजी नम्बर 2048, 2067, 5435, 5437, 5566 कुल किता 5 कुल रकबा 5.45 है. स्थित है, जो जगन्नाथ ब्राह्मण के नाम दर्ज है। जगन्नाथ के पिता हरीराम है। जगन्नाथ की पत्नि लेहरीबाई (फोत), दो पुत्रियां मांगी देवी (बड़ी एवं छोटी) एवं एक पुत्र श्री नाथुलाल है। उक्त भूमियां हरीराम के पिता सुखदेव के समय से चली आ रही है एवं स्व. श्री जगन्नाथ को विरासत से प्राप्त हुई है, और उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त विरासत से प्राप्त आराजीयात के वारिस उसकी पत्नि, दोनों पुत्रियां एवं पुत्र होते है। परन्तु जगन्नाथ जी की मृत्यु उपरान्त उक्त मौरूसी भूमि वसीयत के आधार पर अपीलान्ट श्री हिमांशु के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, कपासन द्वारा आदेश दिनांक 17.02.2014 को पारित कर नामान्तरकरण संख्या 2378 दिनांक 25.02.2014 को स्वीकृत किया। अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। तहसीलदार द्वारा निर्णय से पूर्व

Web Copy, Not Official

रेस्पोडेंट संख्या–1 से कोई जवाब साक्ष्य या दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं लिया और अपनी मनमर्जी से आदेश पारित कर नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित कर दिया। कथित वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा अपील में वर्णित आराजीयात के संबंध में कोई आराजी स. अंकित नहीं है, न ही पडोस अंकित है, इस दस्तावेज को भी तहसीलदार, कपासन ने विधि अनुसार परिक्षण नहीं किया और न ही उसके निष्पादन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभिलिखित किए। विवादित आराजीयात वसीयतकर्ता की स्वअर्जित नहीं होकर मौरूसी व पुश्तैनी है जो उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वसीयत कर्ता ने इस आराजीयात बाबत कोई अंकन वसीयत में किया है। आराजीयात पर कब्जा बाबत पटवार हल्का द्वारा झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी स्वीकार नहीं की। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस एवं प्राप्त लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध एवं दौराने अपीलीय प्रक्रिया प्रस्तुत वसीयत की प्रति अनुसार वसीयत में स्वयं के खुद अर्जित की जायदाद वसीयत किये जाने का अंकन किया गया है, उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अंकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.02.2014 में जायदाद अर्जित होने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गई जिसकी जांच की जानी थी। पटवारी हल्का द्वारा यह भी टिप्पणी नहीं की गई कि कथित आराजीयात विरासती अथवा स्वअर्जित है। तहसीलदार, कपासन द्वारा वांछित राजस्व अभिलेख/साक्ष्य को नजरअंदाज कर पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। तहसीलदार, कपासन द्वारा वसीयत के 15 वर्ष उपरान्त एवं वसीयतकर्ता की मृत्यु के 11 वर्ष उपरान्त किये गये आवेदन पर पूर्ण तथ्यों की जांच की जानी थी, जो नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा तहसीलदार, कपासन का आदेश दिनांक 17.02.2014 एवं इस क्रम में नामान्तरकरण संख्या 2378 दिनांक 25.02.2014 को निरस्त किया एवं प्रकरण पुनः तहसीलदार, कपासन को मांगी (छोटी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.02.2014 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए श्री हिमांशु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/साक्ष्य आदि को समाहित कर दोनों पक्षों को सुनवाई, साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने बाबत प्रतिप्रेषित कर निर्णय दिनांक 26.05.2016 पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण विवेचना, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 26.05.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official